संख्या -52/सू0अ0 20/84-2-2013-1(विविध)/2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 11 अक्टूबर, 2013

विषय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव एवं जन सूचना अधिकारी, न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) के पत्र संख्या-सू0आ0 526/सात-न्याय-1-13-5(294)/2013, दिनांक 03.10.2013 एवं उसके साथ संलग्न श्री इमरान अली, एडवोकेट, चैम्बर नं0-305, कचहरी परिसर, मुरादाबाद के पत्र दिनांक 31.07.2013 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण जिला उपभोक्ता फोरम, मुरादाबाद द्वितीय से सम्बन्धित है। अत: प्रकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6(3) के अंतर्गत आपको अग्रतर कार्यवाही हेतु अंतरित किया जाता है।

संलग्नक - यथोक्त ।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव/जन सूचना अधिकारी ।

पृष्ठांकन संख्या- 52/सू0अ0 20(1)/84-2-2013-1(विविध)/2006, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) विशेष सचिव एवं जन सूचना अधिकारी, न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) को उनके पत्र संख्या-सू0आ0 526/सात-न्याय-1-13-5(294)/2013, दिनांक 03.10.2013 के क्रम में।
(2) श्री इमरान अली, एडवोकेट, चैम्बर नं0-305, कचहरी परिसर, मुरादाबाद।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in